बिहार सरकार
कृषि विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या– 220(P.S) /कृ0, पटना, दिनांक 08-12-2014

कृषि विभाग द्वारा जिलों के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिये वरीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।

2. सभी नोडल पदाधिकारियों को अपने संबद्ध जिले में प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार दो कार्य दिवसों में क्षेत्र भ्रमण करना है, जिसमें एक दिन वे जिला मुख्यालय में समीक्षा करेंगे और एक दिन अनिवार्य रूप से क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम सम्पादित करेंगे।

3. आई०टी० प्रबंधक द्वारा पदाधिकारियों के भ्रमण टिप्पणी के ऑनलाईन Documentation करने की व्यवस्था विभागीय website पर की गई है। इसकी विस्तृत प्रक्रिया पर साप्ताहिक बैठकों में चर्चा की जाती रही है। इस पर विभागीय पदाधिकारियों को अपनी भ्रमण टिप्पणी, भ्रमण सम्पन्न होने के तीन कार्य दिवसों के अंदर अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। यह भ्रमण टिप्पणी, मासिक तौर पर निश्चित रूप से upload किया जाना है।

4. संबद्ध पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी होगी की वे भ्रमण के उपरान्त अनिवार्य रूप से भ्रमण टिप्पणी अपलोड करेंगे।

5. अद्यतन तिथि तक अत्यंत कम संख्या में भ्रमण टिप्पणी अपलोड हुई है। साप्ताहिक बैठकों में इसके लिये मार्गदर्शन दिया गया है, इसमें अविलंब सुधार किया जाय।

ह०/–
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 220(P.S) /कृ0, पटना, दिनांक 08-12-2014

प्रतिलिपि :– कृषि विभाग एवं कृषि निदेशालय के सभी जिले के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

8/12/14
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।